NESTLÉ INDIA LIMITED

(CIN: L15202DL1959PLC003786)

Regd. Office: 100 / 101. World Trade Centre. Barakhamba Lane. New Delhi-110 001

Email: investor@in.nestle.com; Website: www.nestle.in

Ph: 011-23418891, Fax: 011-23415130

FOR THE ATTENTION OF EQUITY SHAREHOLDERS OF THE COMPANY

Sub.: Transfer of Equity Shares of the Company to the Demat Account of Investor Education and Protection Fund (IEPF) Authority

This Notice is published pursuant to the provisions of the Companies Act, 2013, the Investor Education and Protection Fund Authority (Accounting, Audit, Transfer and Refund) Rules, 2016 read with the relevant circulars and amendments thereto ('IEPF Rules') that the Company has informed to the shareholders concerned regarding transfer of their shares to the Demat Account of IEPF Authority in accordance with the IEPF Rules in case they do not encash any of their dividend(s), which remains unpaid / unclaimed for last seven consecutive years, by the next due date of transfer i.e. 4th December, 2020. The details of such shareholders including their name and folio number or DP-Client ID number are available on the Investors Section of the Company's website www.nestle.in

In case shareholder wishes to claim the shares/dividend(s) after its transfer to IEPF, an online application has to be made to the IEPF Authority in Form IEPF-5, as prescribed under the IEPF Rules and the same is available along with all details at IEPF website www.iepf.gov.in.

For NESTLÉ INDIA LIMITED

B. MURLI

Senior Vice President - Legal & Company Secretary

Date: 31-08-2020 Place: Gurugram

नेस्ले इण्डिया लिमिटेड

(CIN: L15202DL1959PLC003786)

पंजीकृत कार्यालय: 100/101, वर्ल्ड ट्रेंड सेन्टर, बाराखम्बा लेन, नई दिल्ली-110001 ई-मेल: investor@in.nestle.com वेबसाइट: www.nestle.in फोन: 011-23418891 फैक्स: 011-23415130

(कम्पनी के इक्विटी शेयरधारकों के ध्यानाकर्षण हेतु)

विषय : विनिधानकर्ता शिक्षा और संरक्षण निधि (आईईपीएफ) प्राधिकरण के डीमैट खाते में कम्पनी के इक्विटी शेयरों का अंतरण

यह सूचना कम्पनी अधिनियम, 2013, विनिधानकर्ता शिक्षा और संरक्षण निधि प्राधिकरण (लेखा, संपरीक्षा, अंतरण और प्रतिदाय) नियम, 2016 और इनके सम्बद्ध परिपत्रों एवं संशोधनों ("आईईपीएफ नियम") के प्रावधानों के अनुसार प्रकाशित की जाती है कि कम्पनी ने सम्बद्ध शेयरधारकों को उनके शेयरों का, आईईपीएफ नियमों के अनुसार, आईईपीएफ प्राधिकरण के डीमैट खाते में अंतरण के विषय में सूचित कर दिया है, यदि ये शेयरधारक अपने ऐसे किसी लाभांश(शों) का नकदीकरण नहीं करते हैं जो कि अंतरण की अगली नियत तिथि 4 दिसंबर, 2020 तक लगातार सात वर्षों से अप्रदत्त / दावारहित रहते हैं। नाम तथा फोलियो नम्बर अथवा डीपी—क्लाइंट आईडी संख्या सहित ऐसे शेयरधारकों का विवरण कम्पनी की वेबसाइट www.nestle.in के Investors Section पर उपलब्ध है।

यदि शेयरधारक आईईपीएफ में इसके अंतरण के बाद शेयरों/लाभांश(शों) का दावा करना चाहते हैं तो इसके लिए आईईपीएफ नियमों के अधीन निर्धारित प्रपत्र आईईपीएफ–5 के अनुसार आईईपीएफ प्राधिकरण को ऑनलाईन से आवेदन करना होगा जो आईईपीएफ की वेबसाइट www.iepf.gov.in पर समस्त विवरणों सहित उपलब्ध है।

> कृते नेस्ले इण्डिया लिमिटेड बी. मरली

वरिष्ठ उपाध्यक्ष-कानूनी एवं कम्पनी सँचिव

दिनांक: 31.08.2020

स्थान : गुरुग्राम

Published in Jansatta Delhi dated 1st September, 2020